न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 655/2002 प्रा0 पत्र

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक 05.05.2025

उनवान

1. श्री घीसु उर्फ मोहम्मद बक्ष वल्द श्री हसन जी नीलगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. इमामुदीन वल्द हसन जी नीलगर, निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा।

—— वादीगण

बनाम

1. स्व. रहीम बक्ष आत्मज चांदू जी नीलगर नीलगर मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान—

1/1 — मु0 जन्नत पत्नि स्व. रहीम बक्ष जी नीलगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा (मृतक)

1/2 — श्री फतेह मोहम्मद आत्मज स्व. रहीम बक्ष जी नीलगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान—

1/2/1 — श्रीमती जन्नत पत्नि स्व फतेह मोहम्मद जी नीलगर, निवासी सांगानेर, तहसील व जिला भीलवाड़ा

1/2/2 — श्री अकबर पुत्र स्व. फतेह मोहम्मद जी नीलगर, निवासी सांगानेर, मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान—

1/2/2/1 — मुमताज उर्फ मुन्नी बेवा अकबर जी नीलगर निवासी सागांनेर तह० व जिला भीलवाडा

1/2/2/2 — असगर अली पुत्र अकबर जी नीलगर निवासी सागांनेर तह० व जिला भीलवाडा

1/2/2/3 — आशिक अली पुत्र अकबर जी नीलगर निवासी सागांनेर तह० व जिला भीलवाडा

1/2/2/4 — रहीमा उर्फ शब्बू पत्नी उस्मान गनी पुत्री अकबर जी नीलगर उम्र वयस्क, निवासी मोटा चौक, कांकरोली तह० व जिला राजसमंद

1/2/3 — श्री अहसान पुत्र स्व. फतेह मोहम्मद जी नीलगर निवासी सांगानेर, तहसील व जिला भीलवाड़ा

1/2/4 — श्रीमति सलमा पत्नि सिराजुदीन, पुत्री स्व. फतेह मोहम्मद जी नीलगर निवासी सांगानेर, हाल मंगरोप जिला भीलवाड़ा

1/2/5 — श्रीमति मुमताज पत्नि युसुफ, पुत्री स्व. फतेह मोहम्मद जी नीलगर निवासी सांगानेर, हाल कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद

1/3 — श्री मोहम्मद शरीफ आत्मज स्व. रहीम बक्ष जी नीलगर उम्र वयस्क, निवासी सांगानेर, हाल मुकाम चितौड़गढ़, पुरानी कचहरी खातर महलों के पास, (मोहम्मद शरीफ ने अपने हिस्से अधिकार की आराजी को जरिए पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 25.5.2000 के आधार पर प्रति० सं० 1/2/2 श्री अकबर जी नीलगर निवासी सांगानेर के नाम पर हस्तांतरण ट्रांसफर कर दी है।) (प्रतिवादी सं० 1/3 मोहम्मद शरीफ नीलगर को डिलीट किया जाता है।)

1/4 — श्री असमत उल्ला उर्फ चमन आत्मज स्व. रहीम बक्ष जी नीलगर उम्र वयस्क, निवासी सांगानेर, हाल मुकाम चितौड़गढ़, पुरानी कचहरी वातर महलों के पास, (असमत उल्ला उर्फ मन ने अपने अधिकारी आराजी को जरिए पंजीकृत रिलीज दिनांक 31.10. 2005 के आधार प्रति 1/5 समसुद्दीन रंगरेज निवासी सांगानेर के नाम पर ट्रांसफर कर दी है। (प्रतिवादी सं० 1/4 असमत उल्ला उर्फ चमन को किया जाता है।

1/5 — श्री समसुद्दीन स्व रहीम नीलगरवासी सांगानेर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा

1/6 — मु. सुगरा पत्नी ईस्माइल जी दुख्तार स्व रहीम जी नीलगर निवासी हमीरगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (मृतक)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

मिठ्ठु आत्मज रहमान जी नीलगर निवासी सांगानेर मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान –

2/1 अब्दूल आत्मजस्व मिठ्ठू जी नीलकर निवासी सांगानेर मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान :–

2/1/1 – मु० करीमन बेवा अब्दुल नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर।
2/1/2 – खाजू मोहम्मद आत्मज स्व. अब्दुल जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा
2/1/3 – छोटू मोहम्मद आत्मज स्व. अब्दुल जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा
2/2 – युसुफ आत्मज स्व. मिठ्ठू जी नीलकर निवासी सांगानेर
2/3 – रमजान आत्मज स्व. मिठ्ठू जी नीलकर निवासी सांगानेर (मृतक)
2/4 – श्रीमती फातमा पत्नी उस्मानगनी जी दुख्तर स्वर्गीय मिठ्ठु जी नीलगर निवासी ताणा अकोला तहसील भोपाल सागर जिला चित्तौड़गढ

3. कासम आत्मज रहमान जी नीलगर निवासी सांगानेर मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान :–

3/1 – रहमत पत्नि स्व. कासम जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
3/2 – खैरून पुत्र स्व. कासम जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
3/3 – फकरूदीन पुत्र स्व. कासम जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
3/4 – अहमदनूर पुत्र स्व. कासम जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
3/5 – मोहम्मद हनीफ पुत्र स्व. कासम जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
3/6 – रफीक पुत्र स्व. कासम जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
3/7 – मेहरून पुत्री स्व. कासम जी पत्नि मांगीलाल जी नीलगर निवासी शाहपुरा
3/8 – मरियम पुत्री स्व. कासम जी पत्नि अजीज मोहम्मद जी नीलगर निवासी शाहपुरा
3/9 – जैनब पुत्री स्व. कासम जी पत्नि सफी मोहम्मद जी नीलगर निवासी मंगरोप।

4. अलादीन आत्मज रहमान जी नीलगर निवासी सांगानेर मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान :–

4/1 – मु० जन्नत बेवा अलादीन जी नीलगर निवासी सांगानेर (मृतक) (डिलीट)
4/2 – मोहम्मद शरीफ पुत्र स्व. श्री अलादीन नीलगर वयस्क निवासी सांगानेर
4/3 – कमालुदीन पुत्र श्री अलादीन जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर (प्रतिवादी संख्या 2 के वारीसान ने उनके हिस्से अधिकार की आराजीयात को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 25.5.2000 को प्रतिवादी संख्या 4/3 श्री कमालुदीन को विक्रय का दी थी, जो पूर्व में अनवान टाईटल में रेकार्ड पर उपलब्ध)
4/4 – मोहम्मद सलीम पुत्र श्री अलादीन जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
4/5 – खातून पुत्री स्व. अलादीन जी नीलगर पत्नि श्री नूर मोहम्मद नीलगर निवासी मोड़ का निम्बाहेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा।
4/6 – मोहम्मद सदीक पुत्र स्व. अलादीन जी नीलगर निवासी सांगानेर।
4/7 – इकबाल पुत्र स्व. श्री अलादीन जी नीलगर निवासी सांगानेर
4/8 – जब्बार पुत्र स्व. श्री अलादीन जी नीलगर निवासी सांगानेर
4/9 – मेराजपुत्र स्व. श्री अलादीन जी नीलगर निवासी सांगानेर
4/10 – आमना पुत्री स्व. श्री अलादीन जी नीलगर पत्नि आजाद जी नीलगर निवासी सांगानेर हाल मुकाम बैगूं तहसील बैगूं जिला चितौडगढ़

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

6. लादूराम आत्मज नारायण जी ब्राहमण, निवासी सांगानेर मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान :–

6/1 – शंकरलाल पुत्र लादूराम ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
6/2 – शिवलाल पुत्र लादूराम ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सागानेर
6/3 – राधेश्याम पुत्र लादूराम ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
6/4 – श्रीमती चन्द्रसुखी वैवा लादूराम जी ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
6/5 श्रीमती कमला पुत्री लादूराम जी ब्राहमण पत्नी श्री सत्यनारायण जी निवासी पुर

खण्ड अधिकारी
भीलवाडा

7. रामचन्द्र पिता श्री नारायण जी ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
8. रामा पिता प्रताप उर्फ भूरा जाट नि० सांगानेर मृतक के बजाय उनके विधिक वारीस :-
8/1 – हरिशंकर पुत्र रामा जी जाट उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
8/2 – मु० बाली पुत्री रामा जी जाट उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
8/3 – मु० गीता पुत्री रामा जी जाट उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
8/4 – मु० मंजु पुत्री रामा जी जाट उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
8/5 – मु० यशोदा पुत्री रामा जी जाट उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
8/6 – मु० लाडू पत्नि रामा जी जाट उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
8/7 – मु० सायर पत्नि रामा जी जाट उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
9. श्रीमती नर्बदा पत्नि स्व. रामचन्द्र जी ब्राहमण सांगानेर मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान :-
9/1 श्रीमती कमला पत्नि रूपलाल जी ब्राहमण निवासी आरजिया हाल मुकाम सांगानेर
9/2 मु० लादी पत्नी प्यारचन्द जी ब्राहमण निवासी आरजिया हाल मुकाम सांगानेर

नोट– प्रति० सं० 1/3 ने प्रति० सा 1/2/2 को जरिए रिलीज डीड एवं प्रति० सं० 1/4 ने प्रति० सं० 1/5 को जरिए रिलीज डीड एवं प्रति० सं० 2 श्री मिठ्ठू पुत्र रहमान नीलगर के वारीसान ने उनके हक हिस्से, अधिकार की अराजियात को प्रति० सं० 4/3 कमालुदीन को विक्रय कर दी है, जो प्रतिवादीगण कायम मुकाम किये हुये है।

उपस्थितः– –– प्रतिवादीगण

1. वादीगण की और से अधिवक्ता श्री के0जी0 शर्मा उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 की और से मेहराज अली उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 05 की और से पेरोकार सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 88, 89 व 183 आर0टी0ए0 बाबत् कब्जेयाबी जायदाद

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 88, 89 व 183 आर0टी0ए0 बाबत् कब्जेयाबी जायदाद का प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 999 रकबा 01–05 बीघा, आराजी नम्बर 1003 रकबा 01–19 बीघा, आराजी नम्बर 1004 रकबा 01–12 बीघा, आराजी नम्बर 1005 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 1765/2 रकबा 01–03 बीघा, आराजी नम्बर 1766 रकबा 06–08 बीघा, आराजी नम्बर 1797 रकबा 05–16 बीघा भूमि स्थित थी। उक्त आराजियात के सेटलमेन्ट के दौरान निम्न नम्बर कायम हुये :– आराजी नम्बर 877 रकबा 02–11 बीघा, आराजी नम्बर 882 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 883 रकबा 01–03 बीघा, आराजी नम्बर 1622 रकबा 01–04 बीघा, आराजी नम्बर 1879 रकबा 04–04 बीघा, आराजी नम्बर 1886 रकबा 04–14 बीघा कुल किता 06 कुल रकबा 13–18 बीघा भूमि स्थित है।

सेटलमेन्ट विभाग की लापरवाही एवं बदनियती से निम्न आराजियात में दर्शाये गये रकबा कम दर्ज हो गया है। और पडौसियान के रकबे के अन्दर मिल गया है जो दुरूस्त करवाया जाकर वापस पूरा रकबा वादीगण के नाम दर्ज होना चाहिये। आराजी नम्बर 877, 882 एवं 883 का कुल रकबा 05–06 बीघा था जो जिसको सेटलमेन्ट में 03–06 बीघा दर्ज किया गया जबकि नई चेन से 04–10 बीघा दर्ज होना चाहिये। मगर गलती से 03–16 बीघा ही दर्ज किया गया। इस तरह 14 बिस्वा कम दर्ज हुआ है जो सेटलमेन्ट वालो ने मिलकर आराजी नम्बर 887 एवं 884 मिला दिया जिसका पुराना नम्बर 1006 था जो मानचित्र से भी साफ जाहिर है इस तरह आराजी नम्बर 887 व 884 से 14 बिस्वा कम की जाकर वादीगण के आराजी में जोडी जावें जिसके वादीगण अधिकारी है। इसी तरह से पुराने नम्बर 1797 जिसके हाल नम्बर 1879 है में 05–16 बीघा के बजाय नई चेन में 04–18 बीघा दर्ज होना चाहिये मगर सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही बदयान्ती से प्रतिवादीगण नम्बर 07 से लगायत 10 तक के खातें में दर्ज हो गया है उनके खाते से कमी की जाकर वादीगण के खातें में 14 बिस्वा रकबा मजीद जोडी जानी चाहिये। इस तरह उक्त तफसील के मुताबिक 28 बिस्वा यानि 01–08 बीघा रकबा वादी के खातें में जोडी जानी चाहिये जिसका वादी संशोधन क़राने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 तक वादी को आराजी नम्बर 999 व 1003 जिसके हाल आराजी नम्बर 877 की पूर्वी दक्षिणी कोने की डोल को तोडकर वादीगण की आराजी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना चाहते है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण अभी हाल ही में तारीख दिनांक 28.12.1980 को आराजी नम्बर 877 व 880 के बीच की डोल बाड काटकर डाली और वादी की आराजी को नुकसान पहूँचाना चाहते है प्रतिवादीगण को मना किया मगर वह नहीं मानते है और चाहते है कि वादी की आराजी को नुकसान पहूँचावें। आराजी नम्बर 878 व 880 के उतर में डोल बना हुआ है और आराजी नम्बर 878 की सीध में ही 800 के उतर में डोल बराबर चला गया था और उसी सिध में बाड थी। आराजी नम्बर 878 के सीध में भी वर्तमान में बाड मौजूद है तथा आराजी नम्बर 880 की डोल मौजूद है इसी सीध में बाड कायम करने का वादीगण हकदार है प्रतिवादीगण इससे कोई बाधा नहीं व पहूँचा सकते है प्रतिवादीगण को रोके फरमाना आवश्यक है कि वह 880 की उतरी डोल बाड़ को सीध से 800 के उतर में आगे न बढे व न डोल व बाड में किसी प्रकार की कोई बाधा पहूँचावें नही तो वादीगण के हको में फर्क आता है।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 तक के खिलाफ हुक्म इम्तनाई दवामी वाद इस अमर की फरमाई जावें कि आराजी नम्बर 878 के उतरी मेड उस पर लगी हुई बाड की सीध में आराजी नम्बर 880 के उतर में सीध से आगे न बढे और डोल व बाड में बाधा न पहूँचावें। आराजी नम्बर 1006 जिसके हाल नम्बर 884 एवं 887 है उसमें से 14 बिस्वा भूमि कम की जाकर वादी के खाते में जोडी जावें इसी प्रकार आराजी नम्बर 1879 में 14 बिस्वा कम होने पर 14 बिस्वा मजीद प्रतिवादी नम्बर 7, 8, 9, 10 से कम की जाकर वादीगण के खाते में जोडी जावें।

वादीगण का वाद पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की और से प्रतिवाद पत्र दिनांक 23.05.2003 को पेश किया। प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई :–

1. आया वादीगण की वादपत्र की कलम संख्या 04 वर्णित आराजियात जो सेटलमेन्ट विभाग की गलती की वजह से 28 बिस्वा आराजी कम दर्ज की गई है जो वादी पुनः अपने नाम कराने के अधिकारी है।
2. आया वादी की आराजी नम्बंर 880 की उतरी डोल वाद की सीध से आराजी नम्बर 880 के उतर में प्रतिवादीगण आगे न बढे तथा डोल व वाद में कोई बाधा न पहूँचावें इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा वादी प्राप्त करने का अधिकारी है।
3. दादरसी क्या होगी?

वादीगण ने अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र ईमामुदीन पुत्र हसन नीलगर निवासी सांगानेर भीलवाडा का पेश किया

वादी की साक्ष्य में इमामुदीन पिता हसन नीलगर मुसलमान निवासी सांगानेर के बयान दिनांक 21.01.2006 को करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 30.12.1980 जो प्रदर्श–01 है। ग्राम सांगानेर के साबिक आराजी नम्बर 1006, 999, 1003, 1004, 1765/2, 1766, 1997 का पेश किया जो प्रदर्श–02 है। ग्राम सांगानेर के जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 पेश की जो प्रदर्श–03 है। ग्राम सांगानेर के आराजी नम्बर 877, 882, 883 का नक्शा ट्रेस पेश किया जो प्रदर्श–04 है। ग्राम सांगानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 घीसु, इमामुदीन पिता हसन नीलगर के आराजी नम्बर 877, 882, 883, 1862, 1879, 1886 की पेश की जो प्रदर्श–05 है। ग्राम सांगानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 की आराजी नम्बर 878, 880, 884, 886, 887 की पेश की जो प्रदर्श–06 है। ग्राम सांगानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 आराजी नम्बर 878, 880, 884, 886, 887 की पेश की जो प्रदर्श–डी 02 है। भू–प्रबन्ध विभाग का खसरा सम्वत् 2026 पेश किया जो प्रदर्श–07 है। ग्राम सांगानेर के आराजी नम्बर 878, 8879, 880, 895, 897, 1912 के नक्शा ट्रैस की प्रति पेश की जो प्रदर्श–08 है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

ग्राम सांगानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 आराजी नम्बर 1912 की पेश की जो प्रदर्श–09 है। ग्राम सांगानेर की आराजी नम्बर 1878 की जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 पेश की जो प्रदर्श–10 है। इसी प्रकार ग्राम सांगानेर की जमाबन्दी नर्बदा बेवा रामचन्द्र ब्राहम्ण के खाते की पेश की जो प्रदर्श–11 है। ग्राम सांगानेर की जमाबनदी सम्वत् 2018 से 2021 आराजी नम्बर 98, 1796, 1801, 2188 की पेश की जो प्रदर्श–12 है। ग्राम सांगानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 की आराजी नम्बर 1799/1 की पेश की जो प्रदर्श–13 है। ग्राम सांगानेर का नक्शा सम्वत् 1983 सन् 1927 का पेश किया जो प्रदर्श–14 है। खसरा गिरदावरी प्रदर्श–15 है। ग्राम सांगानेर का नक्शा ट्रेस आराजी नम्बर 887, 884, 877, 878 पेश किया जो प्रदर्श 16 है। ग्राम सांगानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 रहीमबक्ष, चान्दु, मीठु, कासम पिता रहमान मुसलमान के नाम की पेश की जो प्रदर्श–17 है।

प्रतिवादी के साक्ष्य में शपथ पत्र दिनांक 21.05.2010 फखरूदीन पिता कासम निवासी सांगानेर हाल भीलवाडा का पेश किया। फखरूदीन के बयान दिनांक 11.08.2010 को कलमबद्ध किये गये जो डीडब्ल्यू 03 है। आराजी नम्बर 1002, 1006 व 1007 की साबिक जमाबन्दी की नकल प्रदर्श – डी है व हाल जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–डी 02 है। विक्रय पत्र ईकरार व साईट प्लान की फोटो प्रति प्रदर्श–डी 03 व 04 है। इसी प्रकार शपथ पत्र दिनांक 21.05.2010 अहमद नूर पिता कासम निवासी सांगानेर हाल भीलवाडा का पेश किया। हनीफ पिता कासम नीलगर निवासी सांगानेर हाल भीलवाडा का शपथ पत्र दिनांक 21.05. 2010 पेश किया। समसुदीन पिता रहीमबक्ष निवासी सांगानेर का शपथ पत्र दिनांक 21.05. 2010 पेश किया। समसुदीन के बयान दिनांक 05.06.2012 को कलमबद्ध किये गये जो डीडब्ल्यू 04 है।

प्रतिवादी की साक्ष्य में अकबर अली पिता फतह मो0 रंगरेज निवासी सांगानेर का शपथ पत्र दिनांक 21.05.2010 को पेश किया। अकबर पिता फतह मोहम्मद नीलगर निवासी सांगानेर के बयान दिनांक 11.08.2010 को लिये गये । मौका रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्श–डी05 व प्रदर्श–डी06 है। गवाह के दिनांक 11.08.2010 को बयान पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने से दिनांक 05.06.2013 को बयान पर हस्ताक्षर किये जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये। इसी प्रकार फखरूदीन पिता कासम नीलगर निवासी सांगानेर के बयान दिनांक 11.08.2010 को कलमबद्ध किये गये। मेहराज अली आत्मज अलाउदीन रंगरेज निवासी सांगानेर का शपथ पत्र दिनांक 15.03.2007 का पेश किया। मेहराज अली के बयान दिनांक 16.04.2007 को कलमबद्ध किये गये।

वादीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण ने अपने वादपत्र के पेरा संख्या 1 एवं पेरा संख्या 2 में वर्णित वादीगणों की मौजा सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसमें पेरा संख्या 1 में वर्णित पुरानी आराजीयात है तथा पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजियात नये सेटलमेन्ट में हुए है, नये सेटलमेन्ट अधिकारियों ने लापरवाही एवं बदनियति से उपरोक्त आराजियात का रकबा वादीगणों के कम दर्ज कर दिया गया है पडीसियों के रकबे में मिला दिया गया है। नये आराजी नम्बर 877, 882, 883 जिसके पुराने नम्बर 999, 1003, 1004, एवं 1005 था जिसका कुल रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा था जिसके नये सेटलमेन्ट में 3 बीघा 16 बिस्वा ही दर्ज किया गया जबकि नई चेन से 4 बीघा 10 बिस्वा दर्ज होना चाहिये था। मगर गलती से 3 बीघा 16 बिस्वा ही दर्ज किया गया है। इस तरह 14 बीस्वा कम दर्ज हुआ है यह 14 बिस्वा आराजी नम्बर 884, 887 में मिला दिया गया जिसका पुराना आराजी नम्बर 1006 था जो पुराने एवं नये नक्शा ट्रेस से भी स्पष्ट है जो प्रतिवादीगणों की उक्त आराजी से कम की जाकर वादीगण के नाम दर्ज करायी जाये। जिस तरह पुराने आराजी नम्बर 1797 जिनके हाल नम्बर 1879 है जिसका रकचा 5 बीघा 16 बिस्वा था जिसके बजाय नयी चेन से 4 बीघा 18 बिस्वा दर्ज होना चाहिये था जो गलती से 4 बीघा 4 बिस्या ही दर्ज किया गया इस तरह 14 बिस्वा कम दर्ज हई जो गलती से प्रतिवादी नम्बर 7 से 10 तक के खाते में दर्ज हो गया है जो पुनः 14 बिस्वा यादीगणों के खाते में जोडी जानी चाहिये जो पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड से भी साबित है।

वादीगणों ने अपने राजस्व रेकॉर्ड एवं साक्ष्य से अपने दावे को साबित किया गया है अतः दावा डिक्री फरमायी जावे। प्रतिवादीगणों ने अपने लिखित बहस में अपने आराजी नम्बर का अवश्य हवाला दिया है, लेकिन प्रतिवादीगणों ने पुरानी आराजी में पुराना रकबा कितना था व वर्तमान की आराजी में रकबा कितना है कही भी लिखित बहस में खुलासा वर्णन नहीं किया है। जिससे स्पष्ट है प्रतिवादीगण के खाते में आराजियात जो वादीगणों की 28 बिस्वा कम दर्ज है जो प्रतिवादी के खाते में दर्ज हो गयी है, इसलिए इसका प्रतिवादीगण स्पष्ट विवरण लिखित बहस में नहीं कर पाये।

प्रतिवादी ने अपनी लिखित बहस में 80 सीपीसी के नोटिस का जिक्र किया गया है प्रतिवादीगण जिन्होने लिखित बहस न्यायालय के समक्ष पेश की है। उनको यह उजर उठाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होने अपने जवाब दावें में इस तथ्य को नहीं उठाया है और न ही इस पर कोई तनकी कायम हुयी है यह उजर उठाने का दायित्व राज्य सरकार का है जिसका जवाब दावा भी रेकॉर्ड पर है तनकी कायम नही हई है अब इस स्टेज पर उजर उठाने का कोई महत्व नही रखता है वैसे भी नोटिस नकल प्रदर्श नं. 1 रेकॉर्ड पर उपलब्ध है।

प्रतिवादीगण मय राज्य सरकार तहसीलदार के जवाब दावा में 80 सीपीसी के नोटिस का कोई ऐतराज नही लिया गया है और न ही इस बात की कोई तनकी बनी है। इसलिए लिखित बहस में उजर प्रतिवादीगणों का उठाना कोई महत्व नहीं रखता है वैसे भी 80 सीपीसी का नोटिस वादी द्वारा पेश किया गया है जो प्रदर्श नं. 1 है उस पर किसी तरह की कोई जिरह प्रतिवादीगणों द्वारा नही की गई है। प्रतिवादी का यह कथन भी सरासर गलत है कि वादपत्र को कुसंयोजन कर पेश किया गया है यह तथ्य भी प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2006 को आदेश 14 नियम 5 ने पेश कर उठाया गया जो प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2006 को न्यायालय आप द्वारा खारिज फरमाया गया जिसकी कोई रिविजन / अपील प्रतिवादी द्वारा नही की गई इसलिए प्रतिवादी द्वारा इस ऐतराज को उताने का अब कोई औचित्य नहीं क्योंकि यह बिन्दु पूर्व में ही तय हो चुका है। प्रतिवादी ने 31.05.2000 के प्रार्थना पत्र का पुनः अपने लिखित बहस में ऐतराज उठाया है यह भी न्यायालय आप द्वारा पूर्व में तय किया जा चुका है यह ऐतराज भी चलने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी का वाद डिकी फरमाया जावें और राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त करवाया जाने का आदेश बक्षाया जावे।

प्रतिवादीगण की और से प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजी के हाल आराजी नम्बर व साबिक आराजी नम्बर निम्न प्रकार से है :–

वादीगण के हाल व साबिक आराजी नम्बर	प्रतिवादीगण के हाल व साबिक आराजी नम्बर
887–1003	878–1002
882–1005	880–1002
883–1004	884–1006
	886–1007
	887–1006

उपरोक्त हाल आराजी नं. एवं साबिक नम्बरान से स्पष्ट है कि वादीगण की आराजी व प्रतिवादीगण की आराजी के ना तो साबिक नम्बर एक थे व न ही हाल नम्बर एक नम्बरों से बने। वादीगण की आराजी के नम्बरान व प्रतिवादीगण की आराजी नम्बरान हाल व साबिक से स्पष्ट है कि कभी भी वादीगण की आराजी प्रतिवादीगण की आराजी के नम्बर एक नहीं थे, न ही उनसे नये नम्बर बने है, इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण की आराजी में से रकबा कम कराने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ने कौनसी आराजी में से कितना रकबा कम हुआ और किस आराजी में रकबा गया है. कैसे गया है कहीं स्पष्ट नहीं किया है मात्र कयासी आधार पर प्रतिवादीगण की आराजी में से रकबा कम कराने का कथन किया है, जिसका कोई आधार नहीं है. इसलिये वादपत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। जिरह साक्ष्य में वादी ईमामुदीन ने स्वीकार किया कि प्रतिवादीगण वर्षों से अपनी जमीन पर काबिज है। वादीगण प्रतिवादीगण अपनी–अपनी जगह पर काबिज है तथा वर्षों से अपने हक हिस्से पर कायम है। राज्य सरकार के द्वारा जवाब वादपत्र का दिया गया, जिसमें भी सम्पूर्ण वादपत्र को अस्वीकार किया गया है तथा इससे भी स्पष्ट है कि वादी ने कैसे व किस आधार पर प्रतिवादीगण की आराजी में से अपना रकबा कम कराने की प्रार्थना की है स्पष्ट नहीं है. इसलिये दावा खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

वादी ने राज्य सरकार को पक्षकार बनाया है लेकिन राज्य सरकार की बनाये जाने से पूर्व अन्तर्गत धारा 80 सी.पी.सी. का 60 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक प्रावधान है किन्तु वादीगण ने अपने वादपत्र ने राज्य सरकार की नोटिस दिया गया इस संबंध में किसी भी पैरा में कोई उल्लेख नहीं किया गया है इसलिये प्रावधान की अवहेलना के कारण से वादपत्र चलने योग्य नहीं है। वादीगण के द्वारा 80 सी.पी.सी का नोटिस एक्जीबिट पेश किया गया है लेकिन इस इसका उल्लेख वादपत्र में कही भी नहीं किया गया है तथा नोटिस दिया गया हो इसके संबंध में कोई पोस्टल रसीद या प्राप्ति स्वीकृति रसीद भी पेश नहीं की गई है. इसलिये नोटिस दिया जाना साबित नहीं है।

Citation: 2010 DNJ (SC) 376 Supreme Court of India

Evidence Proof Mere admission of document in evidence does not amount to its proof mere marking exhibit on a document does not dispense with its proof.

Mere marking exhibit on a document does not dispense with its proof. Documents having not been produced and marked as required under the Act cannot be relied upon by the Court.

वादीगण के द्वारा जो नोटिस प्रदर्श–1 पेश किया गया है, उसके कही भी 80 सी.पी. सी. में दिया जाना अंकित नहीं है तथा नोटिस में जगह–जगह कांटछांट की गई है, इस प्रकार से नोटिस संहेदपूर्ण है। कानूनन कोई भी दस्तावेज मात्र प्रदर्श मार्क या एक्जीबिट हो जाने से उसे साबित नहीं मान लिया जाता है, उसे साबित किया जाना आवश्यक हैं।

"धारा 80 उसके सिवाय जैसा उपधारा 2 में उपबन्धित है सरकार के जिसके अन्तर्गत जम्मूकश्मीर राज्य की सरकार भी आती है. विरूद्ध या ऐसे कार्य के बाबत् जिसके बारे में यह तात्पर्थित है कि यह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है। लोक अधिकारी के विरूद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक वाद हेतुक का बादी के नाम वर्णन और निवास स्थान का, और जिस अनुतोष का बह दावा करता है उसका कथन करने वाली लिखित सूचना :–

केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध वाद की दशा में वहाँ के सिवाय जहाँ रेल से संबंधित है. उस सरकार के सचिव को।

केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध वाद की दशा में जहाँ वह रेल से संबंधित है उस रेल के प्रधान प्रबंधक को।

जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार के विरूद्ध वाद की दशा में उस सरकार के मुख्य सचिव को या उस सरकार द्वारा उस निर्मित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को।

किसी अन्य सरकार के विरूद्ध वाद की दशा में उस सरकार के सचिव को या जिले के कलेक्टर को।

परिदत्त किये जाने या उसके कार्यालय में छोडे जाने के और अधिकारी की दशा में उसे परिदत्त किये जाने या उसके कार्यालय में छोडे जाने के पश्चात 2 मास का अवसान न हो गया हो और वादपत्र में यह कथन अर्न्तविष्ट होगा कि ऐसी सूचना ऐसे परिदत्त कर दी गई है या छोड दी गई है। धारा 80 सी.पी.सी. के अनुसार जिसे गहरे अक्षरों से अंकित किया गया है से स्पष्ट है कि वादपत्र में यदि कोई नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. का दिया जाता है, उसे वादपत्र में भी अंकित किया जाना आवश्यक है। बादपत्र का अवलोकन करने पर स्पष्ट तौर पर यह साबित है कि वादपत्र के किसी भी पैरा में कहीं पर भी नोटिस धारा 80 सी. पी.सी का दिया जाने के बारे में अंकित नहीं कर रखा है।

खण्ड अधिकारी

वादीगण ने 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये जाने के संबंध में वादपत्र में कहीं भी कोई अंकन नहीं किया है इसलिये कानूनन अभिवचन जिस प्रकार का किया गया है, उसी के संबंध में साक्ष्य दी सकती है. अभिवचनों से हटकर साक्ष्य पेश नहीं की जा सकती है।

Practice and Procedure-Pleading and proof in absence of plea no amount of evidence led can be looked into.

पद्धति और प्रक्रिया अभिवचन और साक्ष्य अभियाक के अभाव में कितनी भी साक्ष्य प्रस्तुत की जाये, उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

WLC (SC) Civil 2003(2) Page no- 333
Bondar Singh and Others V/s Nihal Singh
Pleadings and Proof Principle Case not pleaded but introduced only in evidence Case cannot be accepted as being one of evidence beyond pleadings.
अभिवचन और सबूत सिद्धान्त मामला अभिवचन में नहीं किन्तु केवल साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया मामला अभिवचन से परे साक्ष्य का होने से स्वीकार्य नहीं।
WLC (Raj-) 2000(4) Page no- 357
Smt- Krishna Khandelwal Vis Sate of Rajasthan

वादपत्र दो भिन्न–भिन्न जगह की भूमि के लिये पेश किया गया था. जिनमें पक्षकार भी भिन्न–भिन्न है वादपत्र को कसंयोजन कर पेश किया गया है वादीगण को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है. इसलिये वादपत्र चलने योग्य नहीं हैं। वादी ने अपनी कब्जे काश्त की आराजी के भूखण्ड काट के बेच दिये है तथा प्रतिवादीगण की भूमि की हडप करना चाहता है तथा वादी की आराजी पर वर्तमान में लोगों के भूखण्ड पर निर्माण कार्य है और लोग काबिज है। प्रतिवादीगण की आराजी पर जमीनों का मूल्य अधिक बढ़ जाने के कारण से कब्जा करना चाहता है इसी नियत से प्रतिवादीगण को परेशान कर रखा हैं। वादपत्र दिनांक 31–05–2000 को अदम पेरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया था तथा पत्रावली नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर करने का निर्णय सुनाया गया, जिस पर वादीगण के द्वारा एक प्रार्थनापत्र आदेश 09 नियम 09 का दिनांक 20–09–2001 को ठीक 18 माह की देरी के पश्चात पेश किया गया, जिसे उसी दिन स्वीकार कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर ले लिया गया था. प्रकरण को नम्बर पर लिए जाना कानूनन गलत है।

आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी के अनुसार जब तक विपक्षीगण प्रतिवादीगण को विधिवत रूप से नोटिस की तामील करा सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है तब तक प्रकरण को पुनः नम्बर पर नहीं लिया जा सकता है. ऐसा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में आज्ञापक प्रावधान के रूप में वर्णित किया गया हैं। इसलिये वादपत्र को चलाया जाना ही विधि की प्रक्रिया का दुरूपयोग है क्योकि उक्त वादपत्र में सभी पक्षकारान को कोई नोटिस आदेश 09 नियम 09 का तामील नहीं कराया गया था न ही उस पर सुना गया था। अतः निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र अस्वीकार फरमा खारिज फरमाये जाने का आदेश पारित कराया जायें।

वादीगण ने अपने वादपत्र में बताया कि ग्राम सांगानेर के साबिक आराजी नम्बर 999, 1003, 1004, 1005 कुल किता 04 कुल रकबा 05–06 बीघा था जिसके सेटलमेन्ट विभाग ने 03–16 ही दर्ज किया। जबकि 04–10 बीघा दर्ज करना चाहिये वादीगण के 14 बिस्वा भूमि कम दर्ज की गई। कमी रकबा 14 बिस्वा भूमि हाल आराजी नम्बर 884, 887 में मिला दिया गया। जिसका पुराना आराजी नम्बर 1006 था। पुराने नक्शें एवं नये नक्शें से स्पष्ट है वादीगण ने आराजी नम्बर 884, 887, प्रतिवादीगण के नाम पर होने से 14 बिस्वा भूमि उपरोक्त आराजी में से कम की जाकर वादीगण के नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की गई है।

खण्ड आधिकारी

इसी प्रकार ग्राम सांगानेर के साबिक आराजी नम्बर 1797 रकबा 05–16 बीघा था जिसका सेटलमेन्ट विभाग ने हाल आराजी नम्बर 1879 रकबा 04–04 बीघा ही दर्ज किया जबकि 04–18 बीघा दर्ज करना चाहिये इस प्रकार वादीगण के 14 बिस्वा भूमि कम दर्ज हुई है। कमी रकबा 14 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 07 से लगायत 10 के खातें में दर्ज हो गया जिसे प्रतिवादी के खातें मे से कम कर वादीगण के खाते में दर्ज करने की प्रार्थना की गई है।

वादीगण ने अपने वादपत्र में बताया कि ग्राम सांगानेर के साबिक आराजी नम्बर 1006 से हाल आराजी नम्बर 884, 887 है जबकि साबिक आराजी नम्बर 1006 वादीगण के नाम दर्ज नहीं थी। वादीगण ने साबिक आराजी नम्बर 1003, 1005, 1004, 999 के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है। भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान खसरा अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1006 के हाल आराजी नम्बर 884, 887 बनते है। जो प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज थी।

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादग्रस्त सांगानेर के हाल आराजी नम्बर 884, 887 के साबिक आराजी नम्बर 1006 होना वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित किया है जबकि साबिक आराजी नम्बर 999, 1003, 1004, 1005 के आधार पर हाल आराजी नम्बर 884, 887 में से 14 बिस्वा भूमि की वादीगण द्वारा घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती चाही गई है। वादीगण ने अपने वादपत्र में प्रतिवादी की आराजी नम्बर 884, 887 में से कितना–कितना रकबा वादीगण की आराजी में मिलाया जाना है स्पष्ट अंकित नहीं किया है। उपरोक्त साबिक आराजी नम्बर 999, 1003, 1004, 1005 के हाल आराजी नम्बर 884, 887 का भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान खसरा अनुसार साबिक आराजी नम्बर व हाल आराजी नम्बर का मिलान नहीं होता है।

इसी प्रकार ग्राम सांगानेर के साबिक आराजी नम्बर 1797 रकबा 05–16 बीघा भूमि के हाल आराजी नम्बर 1879 का रकबा 04–18 बीघा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज नहीं करके 04–04 बीघा दर्ज कर दिया गया। 14 बिस्वा भूमि वादीगण की प्रतिवादी संख्या 07 से लगायत 10 के खातें में मिला देने से वादीगण ने उक्त 14 बिस्वा भूमि की घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती चाही गई लेकिन वादीगण ने अपने वादपत्र में प्रतिवादी की किस आराजी में कितना–कितना रकबा कम कर वादी के नाम दर्ज किया जाना है वादपत्र में स्पष्ट अंकित नहीं किया है।

वादग्रस्त आराजी नम्बर 877, 882, 883 के सम्बन्ध में तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त मौका पर्चा व रिपोर्ट दिनांक 25.02.2006 प्रदर्श–डी 06 के अनुसार आराजी नम्बर 877 में रास्तें के सहारे 50गुणा 90 फीट का भूखण्ड पर खटीक समाज ने बाउण्ड्री बनाकर अधूरा निर्माण कर रखा है। उक्त भूखण्ड खटीक समाज ने खातेदार से क्रय किया है। शेष रकबा सम्पूर्ण खाली होकर पडत है।

ग्राम सांगानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 अनुसार आराजी नम्बर 999, 1003, 1005, 1765/2, 1766, 1797, 1004 कुल किता 07 कुल रकबा 18–13 बीघा भूमि घीसु, ईमामुदीन पिता हसन ना0ब0 मुस्मात सुगरा बेवा हसन नीलगर सा0 देह दर्ज रेकार्ड है।

ग्राम सांगानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 प्रदर्श–06 अनुसार आराजी नम्बर 878, 880, 884, 887 कुल किता 05 कुल रकबा 03–07 बीघा भूमि फतेह मोहम्मद शमसुदीन, शरीफ मोहम्मद, असमतुल्ला पिता रहीमबक्ष कमालुदीन पिता अल्लादीन नीलगर, कासम पिता रहमान, शरीफ मोहम्मद, कमालुदीन, सलीम मोहम्मद, ईकबाल हुसैन, सदीक अहमद, महराज अली, जब्बार हुसैन पिता अलादीन, जन्नत बेवा अलादीन मुसलमान रंगरेज सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

ग्राम सांगानेर की जमाबन्दी सम्वत् प्रदर्श–05 अनुसार ग्राम आराजी नम्बर 877, 882, 883, 1862, 1879, 1886 कुल किता 06 कुल रकबा 13–18 बीघा भूमि घीसु, ईमामुदीन पिता हसन नीलगर मुसलमान सा0 देह खातेदार दर्ज है।

प्रकरण में तनकीवार निर्णय इस प्रकार है :–

तनकी संख्या 01 इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। ग्राम सांगानेर के साबिक आराजी नम्बर 999, 1103, 1004, 1005 कुल किता 04 कुल रकबा 05–01 बीघा भूमि सेटलमेन्ट के पश्चात् वर्तमान रेकार्ड में आराजी नम्बर 877, 882, 883 कुल किता 03 कुल रकबा 03–16 बीघा भूमि वादीगण के नाम दर्ज की गई जबकि साबिक रकबा के मुकाबले हाल रकबा 04–10 बीघा भूमि होना चाहिये 14 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम कम दर्ज की गई। उक्त कमी रकबा 14 बिस्वा प्रतिवादी की आराजी नम्बर 884, 887 में सम्मिलित हो गई है। आराजी नम्बर 884, 887 का साबिक आराजी नम्बर 1006 था जो प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम पर होकर वादीगण के नाम पर नहीं था। उक्त तथ्य भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा प्रदर्श– 06 – 01 से लगायत 07 से स्पष्ट है। वादीगण की ग्राम सांगानेर की साबिक आराजी नम्बर 999, 1103, 1005, 1765/2, 1766, 1777, 1004 कुल किता 07 कुल रकबा 18–08 बीघा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 में वादीगण के नाम दर्ज होकर प्रदर्श–03 से प्रमाणित है। सेटलमेन्ट पश्चात् उक्त साबिक आराजियात ग्राम सांगानेर के हाल आराजी नम्बर 877, 882, 883, 1862, 1879, 1886 कुल किता 06 कुल रकबा 13–18 बीघा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 में वादीगण के नाम पर दर्ज हुई जो प्रदर्श–05 से प्रमाणित है। वादीगण ने अपने वादपत्र में साबिक आराजी नम्बर 1006 के हाल आराजी नम्बर 884, 887 के सम्बन्ध में अनुतोष चाहा गया है लेकिन उक्त आराजियात में वादीगण का कमी रकबा 14 बिस्वा भूमि किस आराजी नम्बर में कितना–कितना रकबा सम्मिलित हुआ है वादीगण ने अपनी साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है। इस प्रकार वादीगण का 28 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण की किस–किस आराजी नम्बर में कितना–कितना क्षैत्रफल सम्मिलित हुआ है सिद्ध नहीं होता है। यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। ग्राम सांगानेर के आराजी नम्बर 878 के उतरी मेड व उस पर लगी हुई बाड की सिध में आराजी नम्बर 880 के उतर में सीधे से आगे न बडे और डोल व बाड में बाधा न पहूँचाये इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध चाही गई इस अनुतोष के सम्बन्ध में वादीगण ने कोई साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

दादरसी:–

ग्राम सांगानेर के साबिक आराजी नम्बर 999, 1003, 1004, 1005, 1765/2, 1766, 1797 कुल किता 07 कुल रकबा 18–08 बीघा भूमि के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा हाल आराजी नम्बर 877, 882, 883, 1662, 1879, 1886 कुल किता 06 कुल रकबा 13–18 बीघा भूमि वादीगण के नाम दर्ज की गई जो भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक प्रदर्श–06 व 07 से प्रमाणित है। वादीगण ने अपने वाद में साबिक आराजी नम्बर 999, 1003, 1004, 1005 का कुल रकबा 05–06 बीघा दर्ज था जिसे सेटलमेन्ट पश्चात् हाल आराजी नम्बर 877, 882, 883 रकबा 03–16 बीघा ही दर्ज किया जाना अंकित करते हुये 14 बिस्वा भूमि कम दर्ज होना बताया कमी रकबा 14 बिस्वा को प्रतिवादी की हाल आराजी नम्बर 884 व 887 में सम्मिलित करना अंकित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी

उक्त आराजी का साबिक आराजी नम्बर 1006 होना बताया है जबकि साबिक आराजी नम्बर 1006 प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की थी। इसी प्रकार साबिक आराजी नम्बर 1797 रकबा 05–16 बीघा के हाल आराजी नम्बर 1879 रकबा 04–04 बीघा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दर्ज किया गया। वादीगण ने बताया कि 04–18 बीघा भूमि दर्ज करना चाहिये, 14 बिस्वा भूमि कम दर्ज की गई। कमी रकबा 14 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 07 से 10 के खातें में सम्मिलित करना बताया है लेकिन वादीगण ने कमी रकबा 14 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 07 से 10 की खातें की किस आराजी नम्बर में कितना–कितना रकबा सम्मिलित हुआ है वादपत्र में स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं उभयपक्ष की प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ग्राम सांगानेर के साबिक आराजी नम्बर 999, 1003, 1004, 1005, 1765/2, 1766, 1797 के हाल आराजी नम्बर 877, 882, 883, 1662, 1889, 1886 के सम्बन्ध में वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 88, 89, 183 आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

ग्राम सांगानेर के साबिक आराजी नम्बर 999, 1003, 1004, 1005, 1765/2, 1766, 1797 कुल किता 07 कुल रकबा 18–08 बीघा भूमि के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा हाल आराजी नम्बर 877, 882, 883, 1662, 1879, 1886 कुल किता 06 कुल रकबा 13–18 बीघा भूमि वादीगण के नाम दर्ज की गई जो भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक प्रदर्श–06 01 से लगायत 07 से प्रमाणित है। वादीगण ने अपने वाद में साबिक आराजी नम्बर 999, 1003, 1004, 1005 का कुल रकबा 05–06 बीघा दर्ज था जिसे सेटलमेन्ट पश्चात् हाल आराजी नम्बर 877, 882, 883 रकबा 03–16 बीघा ही दर्ज किया जाना अंकित करते हुये 14 बिस्वा भूमि कम दर्ज होना बताया कमी रकबा 14 बिस्वा को प्रतिवादी की हाल आराजी नम्बर 884 व 887 में सम्मिलित करना अंकित किया गया है। उक्त आराजी का साबिक आराजी नम्बर 1006 होना बताया है जबकि साबिक आराजी नम्बर 1006 प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की थी। वादीगण का कमी रकबा 14 बिस्वा प्रतिवादी की आराजी नम्बर 884 व 887 में सम्मिलित होना सिद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार साबिक आराजी नम्बर 1797 रकबा 05–16 बीघा के हाल आराजी नम्बर 1879 रकबा 04–04 बीघा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दर्ज किया गया। वादीगण ने बताया कि 04–18 बीघा भूमि दर्ज करना चाहिये, 14 बिस्वा भूमि कम दर्ज की गई। कमी रकबा 14 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 07 से 10 के खातें में सम्मिलित करना बताया है लेकिन वादीगण ने कमी रकबा 14 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 07 से 10 की खातें की किस आराजी नम्बर में कितना–कितना रकबा सम्मिलित हुआ है वादपत्र में स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 88, 89 व 183 आर0टी0ए0 का विरूद्ध प्रतिवादीगण सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

(दिव्… …त)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:–दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर
655/2002 प्रा0 पत्र

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक
15.05.2025

उनवान

1. श्री घीसु उर्फ मोहम्मद बक्ष वल्द श्री हसन जी नीलगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. इमामुदीन वल्द हसन जी नीलगर, निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा।

बनाम — वादीगण

1. स्व. रहीम बक्ष आत्मज चांदू जी नीलगर नीलगर मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान–

1/1 – मु0 जन्नत पत्नि स्व. रहीम बक्ष जी नीलगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा (मृतक)

1/2 – श्री फतेह मोहम्मद आत्मज स्व. रहीम बक्ष जी नीलगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान–

1/2/1 – श्रीमती जन्नत पत्नि स्व फतेह मोहम्मद जी नीलगर, निवासी सांगानेर, तहसील व जिला भीलवाड़ा

1/2/2 – श्री अकबर पुत्र स्व. फतेह मोहम्मद जी नीलगर, निवासी सांगानेर, मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान–

1/2/2/1 – मुमताज उर्फ मुन्नी बेवा अकबर जी नीलगर निवासी सागांनेर तह० व जिला भीलवाडा

1/2/2/2 – असगर अली पुत्र अकबर जी नीलगर निवासी सागांनेर तह० व जिला भीलवाडा

1/2/2/3 – आशिक अली पुत्र अकबर जी नीलगर निवासी सागांनेर तह० व जिला भीलवाडा

1/2/2/4 – रहीमा उर्फ शब्बू पत्नी उस्मान गनी पुत्री अकबर जी नीलगर उम्र वयस्क, निवासी मोटा चौक, कांकरोली तह० व जिला राजसमंद

1/2/3 – श्री अहसान पुत्र स्व. फतेह मोहम्मद जी नीलगर निवासी सांगानेर, तहसील व जिला भीलवाड़ा

1/2/4 – श्रीमति सलमा पत्नि सिराजुदीन, पुत्री स्व. फतेह मोहम्मद जी नीलगर निवासी सांगानेर, हाल मंगरोप जिला भीलवाड़ा

1/2/5 – श्रीमति मुमताज पत्नि युसुफ, पुत्री स्व. फतेह मोहम्मद जी नीलगर निवासी सांगानेर, हाल कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद

1/3 – श्री मोहम्मद शरीफ आत्मज स्व. रहीम बक्ष जी नीलगर उम्र वयस्क, निवासी सांगानेर, हाल मुकाम चितौड़गढ़, पुरानी कचहरी खातर महलों के पास, (मोहम्मद शरीफ ने अपने हिस्से अधिकार की आराजी को जरिए पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 25.5.2000 के आधार पर प्रति० सं० 1/2/2 श्री अकबर जी नीलगर निवासी सांगानेर के नाम पर हस्तांतरण ट्रांसफर कर दी है।) (प्रतिवादी सं० 1/3 मोहम्मद शरीफ नीलगर को डिलीट किया जाता है।)

1/4 – श्री असमत उल्ला उर्फ चमन आत्मज स्व. रहीम बक्ष जी नीलगर उम्र वयस्क, निवासी सांगानेर, हाल मुकाम चितौड़गढ़, पुरानी कचहरी वातर महलों के पास, (असमत उल्ला उर्फ मन ने अपने अधिकारी आराजी को जरिए पंजीकृत रिलीज दिनांक 31.10.2005 के आधार प्रति 1/5 समसुद्दीन रंगरेज निवासी सांगानेर के नाम पर ट्रांसफर कर दी है। (प्रतिवादी सं० 1/4 असमत उल्ला उर्फ चमन को किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

1/5 – श्री समसुद्दीन स्व रहीम नीलगरवासी सांगानेर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा

1/6 – मु. सुगरा पत्नी ईस्माइल जी दुख्तर स्व रहीम जी नीलगर निवासी हमीरगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (मृतक)

2. मिठ्ठु आत्मज रहमान जी नीलगर निवासी सांगानेर मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान –

2/1 अब्दूल आत्मजस्व मिठ्ठू जी नीलकर निवासी सांगानेर मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान :–

2/1/1 – मु० करीमन बेवा अब्दुल नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर।

2/1/2 – खाजू मोहम्मद आत्मज स्व. अब्दुल जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा

2/1/3 – छोटू मोहम्मद आत्मज स्व. अब्दुल जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा

2/2 – युसुफ आत्मज स्व. मिठ्ठू जी नीलकर निवासी सांगानेर (मृतक)

2/3 – रमजान आत्मज स्व. मिठ्ठू जी नीलकर निवासी सांगानेर (मृतक)

2/4 – श्रीमती फातमा पत्नी उस्मानगनी जी दुख्तर स्वर्गीय मिठ्ठु, जी नीलगर निवासी ताणा अकोला तहसील भोपाल सागर जिला चित्तौड़गढ़

3. कासम आत्मज रहमान जी नीलगर निवासी सांगानेर मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान :–

3/1 – रहमत पत्नि स्व. कासम जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर

3/2 – खैरून पुत्र स्व. कासम जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर

3/3 – फकरूदीन पुत्र स्व. कासम जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर

3/4 – अहमदनूर पुत्र स्व. कासम जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर

3/5 – मोहम्मद हनीफ पुत्र स्व. कासम जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर

3/6 – रफीक पुत्र स्व. कासम जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर

3/7 – मेहरून पुत्री स्व. कासम जी पत्नि मांगीलाल जी नीलगर निवासी शाहपुरा

3/8 – मरियम पुत्री स्व. कासम जी पत्नि अजीज मोहम्मद जी नीलगर निवासी शाहपुरा

3/9 – जैनब पुत्री स्व. कासम जी पत्नि सफी मोहम्मद जी नीलगर निवासी मंगरोप।

4. अलादीन आत्मज रहमान जी नीलगर निवासी सांगानेर मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान :–

4/1 – मु० जन्नत बेवा अलादीन जी नीलगर निवासी सांगानेर (मृतक) (डिलीट)

4/2 – मोहम्मद शरीफ पुत्र स्व. श्री अलादीन नीलगर वयस्क निवासी सांगानेर

4/3 – कमालुदीन पुत्र श्री अलादीन जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर (प्रतिवादी संख्या 2 के वारीसान ने उनके हिस्से अधिकार की आराजीयात को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 25.5.2000 को प्रतिवादी संख्या 4/3 श्री कमालुदीन को विक्रय का दी थी, जो पूर्व में अनवान टाईटल में रेकार्ड पर उपलब्ध)

4/4 – मोहम्मद सलीम पुत्र श्री अलादीन जी नीलगर उम्र वयस्क निवासी सांगानेर

4/5 – खातून पुत्री स्व. अलादीन जी नीलगर पत्नि श्री नूर मोहम्मद नीलगर निवासी मोड़ का निम्बाहेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा।

4/6 – मोहम्मद सदीक पुत्र स्व. अलादीन जी नीलगर निवासी सांगानेर।

4/7 – इकबाल पुत्र स्व. श्री अलादीन जी नीलगर निवासी सांगानेर

4/8 – जब्बार पुत्र स्व. श्री अलादीन जी नीलगर निवासी सांगानेर

4/9 – मेराजपुत्र स्व. श्री अलादीन जी नीलगर निवासी सांगानेर

4/10 – आमना पुत्री स्व. श्री अलादीन जी नीलगर पत्नि आजाद जी नीलगर निवासी सांगानेर हाल मुकाम बैगूं तहसील बैगूं जिला चितौडगढ़

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

6. लादूराम आत्मज नारायण जी ब्राहमण, निवासी सांगानेर मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान :–

6/1 – शंकरलाल पुत्र लादूराम ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सांगानेर

6/2 – शिवलाल पुत्र लादूराम ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सागानेर

उपखण्ड अधिकारी

6/3 – राधेश्याम पुत्र लादूराम ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
6/4 – श्रीमती चन्द्रसुखी वैवा लादूराम जी ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
6/5 श्रीमती कमला पुत्री लादूराम जी ब्राहमण पत्नी श्री सत्यनारायण जी निवासी पुर
7. रामचन्द्र पिता श्री नारायण जी ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
8. रामा पिता प्रताप उर्फ भूरा जाट नि० सांगानेर मृतक के बजाय उनके विधिक वारीस :–
8/1 – हरिशंकर पुत्र रामा जी जाट उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
8/2 – मु० बाली पुत्री रामा जी जाट उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
8/3 – मु० गीता पुत्री रामा जी जाट उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
8/4 – मु० मंजु पुत्री रामा जी जाट उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
8/5 – मु० यशोदा पुत्री रामा जी जाट उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
8/6 – मु० लाडू पत्नि रामा जी जाट उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
8/7 – मु० सायर पत्नि रामा जी जाट उम्र वयस्क निवासी सांगानेर
9. श्रीमती नर्बदा पत्नि स्व. रामचन्द्र जी ब्राहमण सांगानेर मृतक के बजाय उनके विधिक वारीसान :–
9/1 श्रीमती कमला पत्नि रूपलाल जी ब्राहमण निवासी आरजिया हाल मुकाम सांगानेर
9/2 मु० लादी पत्नी प्यारचन्द जी ब्राहमण निवासी आरजिया हाल मुकाम सांगानेर

नोट– प्रति० सं० 1/3 ने प्रति० सा 1/2/2 को जरिए रिलीज डीड एवं प्रति० सं० 1/4 ने प्रति० सं० 1/5 को जरिए रिलीज डीड एवं प्रति० सं० 2 श्री मिठ्ठू पुत्र रहमान नीलगर के वारीसान ने उनके हक हिस्से, अधिकार की अराजियात को प्रति० सं० 4/3 कमालुदीन को विक्रय कर दी है, जो प्रतिवादीगण कायम मुकाम किये हुये है।

–– प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. वादीगण की और से अधिवक्ता श्री के0जी0 शर्मा उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 की और से मेहराज अली उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 05 की और से पेरोकार सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 88, 89 व 183 आर0टी0ए0 बाबत् कब्जेयाबी जायदाद

वादीगण की और से अधिवक्ता श्री के0जी0 शर्मा उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 की और से श्री मेहराज अली उपस्थित। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 25.06.2025 को पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिकी दी जाती है :–

ग्राम सांगानेर के साबिक आराजी नम्बर 999, 1003, 1004, 1005, 1765/2, 1766, 1797 कुल किता 07 कुल रकबा 18–08 बीघा भूमि के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा हाल आराजी नम्बर 877, 882, 883, 1662, 1879, 1886 कुल किता 06 कुल रकबा 13–18 बीघा भूमि वादीगण के नाम दर्ज की गई जो भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक प्रदर्श–06 01 से लगायत 07 से प्रमाणित है। वादीगण ने अपने वाद में साबिक आराजी नम्बर 999, 1003, 1004, 1005 का कुल रकबा 05–06 बीघा दर्ज था जिसे सेटलमेन्ट पश्चात् हाल आराजी नम्बर 877, 882, 883 रकबा 03–16 बीघा ही दर्ज किया जाना अंकित करते हुये 14 बिस्वा भूमि कम दर्ज होना बताया कमी रकबा 14 बिस्वा को प्रतिवादी की हाल आराजी नम्बर 884 व 887 में सम्मिलित करना अंकित किया गया है। उक्त आराजी का साबिक आराजी नम्बर 1006 होना बताया है जबकि साबिक आराजी नम्बर 1006 प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की थी। वादीगण का कमी रकबा 14 बिस्वा प्रतिवादी की आराजी नम्बर 884 व 887 में सम्मिलित होना सिद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार साबिक आराजी नम्बर 1797 रकबा 05–16 बीघा के हाल आराजी नम्बर 1879 रकबा 04–04 बीघा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दर्ज किया गया। वादीगण ने बताया कि 04–18 बीघा भूमि दर्ज करना चाहिये, 14 बिस्वा भूमि कम दर्ज की गई। कमी रकबा 14 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 07 से 10 के खातें में सम्मिलित करना बताया है लेकिन वादीगण ने कमी रकबा 14 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 07 से 10 की खातें की किस आराजी नम्बर में कितना–कितना रकबा सम्मिलित हुआ है वादपत्र में स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 88, 89 व 183 आर0टी0ए0 का विरूद्ध प्रतिवादीगण सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा